



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31082025-265835
CG-DL-E-31082025-265835

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 549]

नई दिल्ली, रविवार, अगस्त 31, 2025/भाद्र 9, 1947

No. 549]

NEW DELHI, SUNDAY, AUGUST 31, 2025/BHADRA 9, 1947

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 2025

सा.का.नि. 593(अ).—केंद्रीय सरकार, वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वन (संरक्षण एवं संवर्धन) संशोधन नियम, 2025 है।
(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) के नियम 2 में, उप-नियम (1) में,
(क) खंड (ट) के पश्चात, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किये जाएंगे, अर्थात्, :-

“(टक) 'अंतिम या चरण-2 अनुमोदन' से राज्य सरकार से सैद्धांतिक या चरण-1 अनुमोदन में निर्धारित शर्तों के संतोषजनक अनुपालन की प्राप्ति के पश्चात अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त केन्द्रीय सरकार का पूर्व अनुमोदन अभिप्रेत है;

(टख) 'सैद्धांतिक या चरण-1 अनुमोदन' से अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए वन भूमि का उपयोग, उसमें अनुबद्ध शर्तों के अनुपालन के अध्याधीन केन्द्रीय सरकार की प्रारंभिक अनुमति अभिप्रेत है।”

(ख) खंड (प) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्, :-

“(प) "कार्य की अनुमति" से सैद्धांतिक अनुमोदन या चरण-1 के पश्चात रैखिक परियोजनाओं को संसाधन जुटाने या सड़कों की ब्लैक टॉपिंग और कंक्रीट बिछाने, रेलवे ट्रैक बिछाने, पारेषण लाइनों की चार्जिंग आदि से भिन्न प्रारंभिक परियोजना कार्यों को शुरू करने के लिए दी गई अनुज्ञा या केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट अनुज्ञा अभिप्रेत है।”

3. उक्त नियमों में, नियम 4 में,-

(क) उप-नियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्, :-

“(3क) समिति का कोई गैर-सरकारी सदस्य किसी भी समय केन्द्रीय सरकार को लिखित सूचना देकर अपने पद से त्यागपत्र दे सकेगा और तत्पश्चात उस सदस्य का स्थान रिक्त हो जाएगा।”

(ख) उप-नियम (4) में, शब्द, कोष्ठक और अंकों “(2) और (3)” के स्थान पर शब्द, कोष्ठक और अंक “(2), (3) और (3क)” रखे जाएंगे।

4. उक्त नियमों में, नियम 6 में, उपनियम (5) को नियम 6क के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनः संख्यांकित नियम 6क में,-

(क) उपनियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्, :-

“(3क) समिति का कोई गैर-सरकारी सदस्य किसी भी समय केन्द्रीय सरकार को लिखित सूचना देकर अपने पद से त्यागपत्र दे सकेगा और तत्पश्चात उस सदस्य का स्थान रिक्त हो जाएगा।”;

(ख) उपनियम (4) में, शब्दों, कोष्ठकों और अंकों “(2) और (3)” के स्थान पर शब्द, कोष्ठक और अंक “(2), (3) और (3क)” रखे जाएंगे।

5. उक्त नियमों में, नियम 9 में,

(क) उपनियम (1) में, कोष्ठक, अक्षर और शब्द “(i) सैद्धांतिक अनुमोदन; और '(ii) अंतिम अनुमोदन” के स्थान पर, कोष्ठक, अक्षर और शब्द “(i) सैद्धांतिक या चरण-1 अनुमोदन” और “(ii) अंतिम या चरण-2 अनुमोदन” रखे जाएंगे;

(ख) उप-नियम (2) में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“परंतु यह कि रक्षा, सामरिक और राष्ट्रीय महत्व से संबंधित परियोजनाओं या लोक हित या आकस्मिक प्रकृति से संबंधित असाधारण मामलों में, प्रयोक्ता अभिकरण को पूर्व अनुमोदन के लिए आवेदन ऑफलाइन प्रणाली में प्रस्तुत करने की अनुमति दी जा सकती है।”

6. उक्त नियमों में, नियम 10 में, उप-नियम (10) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(10) राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, यदि ऐसा चाहे, तो रैखिक प्रस्ताव का 'सैद्धांतिक या चरण-1' अनुमोदन प्राप्त करने और प्रतिपूरक उपग्रहणों जैसे प्रतिपूरक वनरोपण और शुद्ध वर्तमान मूल्य और शमन योजनाओं जैसे वन्यजीव प्रबंधन योजना और मृदा एवं आर्द्रता संरक्षण योजना की लागत, यथा लागू, जमा करने के पश्चात्, प्रतिपूरक वनीकरण के लिए चिन्हित भूमि को वन विभाग के पक्ष में वन भूमि के रूप में हस्तांतरण और नामांतरण प्रभावी करने या प्रतिपूरक वनीकरण के लिए चिन्हित भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) या स्थानीय अधिनियम के अधीन संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित करने और अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) सहित अन्य सभी यथालागू विधि का अनुपालन करने के पश्चात्, 'अंतिम' अनुमोदन प्रदान करने से पहले परियोजना कार्य प्रारंभ करने के लिए कार्य की अनुज्ञा प्रदान कर सकते हैं।”

7. उक्त नियमों में, नियम 11 में,

(i) उप-नियम (9) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“परंतु यह कि रक्षा, सामरिक और राष्ट्रीय महत्व से संबंधित परियोजनाओं या लोक हित या आकस्मिक प्रकृति से संबंधित असाधारण मामलों में, प्रयोक्ता अभिकरण को पूर्व अनुमोदन के लिए आवेदन ऑफलाइन प्रणाली में प्रस्तुत करने की अनुज्ञा दी जा सकती है।”

(ii) उप-नियम (10) में,

(क) 'दो वर्षों से अधिक समय से प्रतीक्षित है, उनमें सैद्धांतिक अनुमोदन को अकृत और शून्य समझा जाएगा;', शब्दों के स्थान पर 'पाँच वर्षों से अधिक समय से प्रतीक्षित है, उनमें सैद्धांतिक या चरण-1 अनुमोदन केन्द्रीय सरकार द्वारा वापस लिया जा सकेगा:' शब्द रखे जायेगे।

(ख) परंतुक में, "परन्तु केन्द्रीय सरकार" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्, :-

"परन्तु केन्द्रीय सरकार, अभिलिखित किए जाने वाले कारणों को लेखबद्ध करके कि परिस्थितियाँ ऐसी थीं जिनके कारण, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, जैसा भी मामला हो, पाँच वर्ष की निर्धारित अवधि के भीतर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर सके, तो समाधान हो जाने पर सैद्धांतिक या चरण-1 अनुमोदन की वैधता ऐसी अवधि के लिए बढ़ा सकेगी, जो वह उचित समझे:

परन्तु यह और कि केन्द्रीय सरकार”

8. उक्त नियमों में, नियम 12 के उपनियम (3) में,-

(क) हिन्दी पाठ में संशोधन की आवश्यकता नहीं है;

(ख) उपनियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्, :-

"परन्तु यह कि उस अवधि के लिए अनुमोदन, जिसके दौरान वन क्षेत्र में अनुमोदित कार्य योजना या कार्य योजना के बिना कार्य किया गया था, संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा क्षेत्रीय सशक्त समिति के परामर्श से निपटाया जाएगा।"

9. उक्त नियमों में, नियम 13 में,

(क) उप-नियम (3) में, कोष्ठक, अक्षर और शब्द 'भारतीय वन अधिनियम, 1927 या स्थानीय अधिनियमों के अधीन 'अंतिम' अनुमोदन से पूर्व संरक्षित वन (पी एफ) के रूप में अधिसूचित किया गया है" के स्थान पर निम्नलिखित कोष्ठक, अक्षर और शब्द प्रतिस्थापित किए जायेंगे, अर्थात्, :-

“‘अंतिम’ अनुमोदन से पूर्व राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा वन विभाग के पक्ष में वन भूमि के रूप में हस्तांतरण और नामांतरण किया गया हो या 'भारतीय वन अधिनियम, 1927 या स्थानीय अधिनियमों के अधीन संरक्षित वन (पी एफ) के रूप में अधिसूचित किया गया हो;”;

(ख) उप-नियम (4) में,

(i) उप-नियम (4) में, खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात्, :-

“(ग) भूमि के ऊपर टेलीफोन लाइन, ऑप्टिकल फाइबर लाइन, पाइपलाइन और अन्य सार्वजनिक उपयोगिता परियोजनाएं जिनमें पेड़ों की कटाई सम्मिलित हो या ना हो और ये सड़कों के मार्गाधिकार क्षेत्र में स्थित न हो”.

(ii) खंड (छ) में, शब्द "अपयोजित किया जाता है" के स्थान पर, शब्द "अपयोजित किया जाता है, जैसा भी मामला हो,;" रखे जाएंगे;

(iii) खंड (छ) के पश्चात्, खंड (छक) अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्, :-

““(छक) खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की प्रथम अनुसूची के भाग-घ में विनिर्दिष्ट महत्वपूर्ण एवं सामरिक खनिज, तथा खान मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत विनिर्दिष्ट खनिज तथा परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 (1962 का 33) के अंतर्गत परिभाषित विहित पदार्थ:

परंतु यह कि खान मंत्रालय द्वारा विनिर्दिष्ट सातवीं अनुसूची के उन खनिजों, जो खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की प्रथम अनुसूची के भाग-घ में विनिर्दिष्ट महत्वपूर्ण एवं सामरिक खनिजों की सूची में सम्मिलित नहीं हैं और जो उन राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों में नहीं आते हैं, जिनका वन क्षेत्र उनके भौगोलिक क्षेत्र के 33% से अधिक है, से संबंधित वन भूमि के अपयोजन के बदले अवक्रमित वन भूमि, जो कि प्रस्तावित वन क्षेत्र का तीन गुना हो, पर प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा;”;

(ग) उपनियम (5) में, खंड (ग) का लोप किया जाएगा।

(घ) उपनियम (6) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्, :-

“(6) खनन पट्टों अनुमोदन के नवीकरण, भूमिगत खनन सहित भूमिगत कार्यों से संबंधित प्रस्तावों के संबंध में, प्रतिपूरक वनरोपण के निम्नलिखित उपबंध लागू होंगे, अर्थात्, :-

(क) खनन पट्टे के लिए अधिनियम के तहत दिए गए अनुमोदन के नवीकरण के लिए, प्रतिपूरक वनरोपण लागू होगा यदि इसके लिए पहले प्रावधान नहीं किया गया था;

(ख) भू-तल पर अधिकार रहित भूमिगत खनन और विभिन्न विकास परियोजनाओं में सम्मिलित भूमिगत कार्यों के बावत प्रतिपूरक वनरोपण नहीं लिया जाएगा।"

10. उक्त नियमों में, नियम 14 में,

i. उप-नियम (1) में, शब्दों, अंकों और कोष्ठकों "भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 की अधिनियम संख्या 16) की धारा 29 के अधीनया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन," के स्थान पर, "उसे वन विभाग के पक्ष में वन भूमि के रूप में हस्तांतरण और नामांतरण किया जाएगा या भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 की अधिनियम संख्या 16) की धारा 29 के अधीनया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा, जैसा भी मामला हो, " प्रतिस्थापित किया जाएगा;

ii. उपनियम (1) में, निम्नलिखित परंतुक को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्, :-

परंतु कि राज्य सरकारें या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन प्रधान मुख्य वन संरक्षक और वन बल प्रमुख को भारतीय वन अधिनियम, 1927 या किसी स्थानीय अधिनियम के अधीन प्रतिपूरक वनरोपण भूमि के संबंध में अधिसूचना जारी करने के लिए प्राधिकृत कर सकते हैं, जो नियम 13 के उपनियम (1) और उपनियम (3) के अधीन वन भूमि के अपवर्तन के बदले में प्रदान की गई है,

iii. उपनियम (4) में, -

(क) खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात्, :-

"(क) राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, जैसा भी मामला हो, प्रतिपूरक वनरोपण के प्रयोजनों के लिए, 0.4 तक कैनोपी घनत्व वाली अवक्रमित वन भूमियों, सरकारी भूमि, सरकारी अभिलेखों में वन के रूप में दर्ज भूमि जो या तो वन विभाग या अन्य सरकारी विभाग या इकाई के प्रशासनिक नियंत्रण में है, का भूमि बैंक बना सकता है;"

(ख) खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्, :-

"(घ) समयबद्ध तरीके से प्रतिपूरक वनरोपण करने के लिए भूमि की पहचान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, केंद्र सरकार की किसी भी योजना, कार्यक्रम या नीतियों के तहत सरकारी विभाग या किसी अन्य इकाई द्वारा अवक्रमित वन भूमि, राजस्व वन भूमि या वनेतर भूमि पर किए गए वनीकरण का उपयोग सरकारी विभाग या उसकी एजेंसियों या अन्य इकाइयों की प्रतिपूरक वनरोपण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया जा सकता है, जैसा कि नियम 13 के अधीन स्वीकार्य है और ऐसे नियमों और शर्तों के अधीन है जो इस उद्देश्य के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जा सकते हैं।"

iv. उप-नियम (5) में,

(क) हिन्दी पाठ में संशोधन की आवश्यकता नहीं है;

(ख) खंड (छ) में, शब्दों अंकों और कोष्ठकों "भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन संरक्षित वन के रूप में अधीनसूचित किया जाएगा" के स्थान पर शब्द अंक और कोष्ठक "वन विभाग के पक्ष में वन के रूप में हस्तांतरण और नामांतरण किया जाएगा या भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन संरक्षित वन के रूप में अधीनसूचित किया जाएगा", अंतःस्थापित किए जाएंगे;

11. उक्त नियमों में, नियम 15 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्, :-

“15. अधिनियम के अधीन अपराधों के दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही, - (1) ऐसी तारीख से, जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस संबंध में नियुक्त करे, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में प्रभागीय वन अधिकारी या उप वन संरक्षक या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में उससे ऊपर के पद को धारण करने वाले अधिकारी या केन्द्रीय सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय में सहायक वन महानिरीक्षक या उससे ऊपर के पद को धारण करने वाले अधिकारी, जिसके पास उस वन भूमि पर अधिकार क्षेत्र है जिसके संबंध में वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 (1980 का 69) के अधीन कोई अपराध हुआ है या उक्त अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन किया गया है, को इस मामले में अधिकार रखने वाले न्यायालय में वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के अधीन प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने या उक्त अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों का उल्लंघन करने वाले ऐसे व्यक्ति, प्राधिकारी या संगठन के विरुद्ध विधिक कार्यवाही आरंभ करेंगे और शिकायत दर्ज करेंगे।

(2) केन्द्रीय सरकार या केन्द्रीय सरकार के अधीन क्षेत्रीय कार्यालय, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या प्राधिकारियों या किसी अन्य स्रोत या स्वप्रेरणा से किए गए अपराध या किए गए उल्लंघनों के संबंध में सूचना प्राप्त करने के पश्चात्, जांच करके, उसे उस राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र और संबंधित प्राधिकारियों को, जिनके अधिकार क्षेत्र में अधिनियम के अधीन अपराध किया गया है या उक्त अधिनियम के किसी उपबंध का उल्लंघन किया गया है, सूचित करेंगे ताकि अपराधियों के विरुद्ध अधिकार क्षेत्र वाले न्यायालय में शिकायत दर्ज की जा सके और यह उप-नियम (1) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी के लिए ऐसी शिकायत दर्ज करने से पहले ऐसी सूचना प्राप्त होने के पैंतालीस दिनों की अवधि के भीतर एक पूर्वापेक्षा के रूप में कार्य करेगा।

(3) राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन और संबंधित प्राधिकारी उप-नियम (2) के अधीन दायर शिकायतों के ब्यौरे के संबंध में क्षेत्रीय कार्यालय को एक आवधिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

(4) उप-नियम (1) में केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, जैसा भी मामला हो, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के किसी अधिकारी या किसी व्यक्ति या किसी अन्य प्राधिकारी से, अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उल्लंघन से संबंधित कोई रिपोर्ट, दस्तावेज और कोई अन्य जानकारी, जो अधिकार रखने वाले किसी न्यायालय में शिकायत करने के लिए आवश्यक समझी जाए, विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उसे प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा और ऐसे प्रत्येक अधिकारी या व्यक्ति या प्राधिकारी ऐसा करने के लिए बाध्य होगा।

12. उक्त नियमों में, अनुसूची-1 में, -

(क) प्रविष्टि “डीसीएफ/सीएफ/नोडल अधिकारी द्वारा स्थल का निरीक्षण” के समक्ष, स्तंभ शीर्षक “40 से 100*” के अंतर्गत आने वाले अंक “20” के स्थान पर अंक ‘5’ रखा जाएगा;

(ख) प्रविष्टि “नोडल अधिकारी/पीसीसीएफ द्वारा कारवाई” के समक्ष, स्तंभ शीर्षक “40 से 100*” के अंतर्गत आने वाले अंक “15” के स्थान पर अंक “10” रखा जाएगा;

(ग) प्रविष्टि “कुल (क + ग)” के समक्ष, -

(अ) स्तंभ शीर्षक “5* तक” के अधीन आने वाले अंक “85” के स्थान पर अंक “80” रखा जाएगा;

(ब) स्तंभ शीर्षक “40 से 100*” के अधीन आने वाले अंक “160” के स्थान पर अंक “130” रखा जाएगा;

13. उक्त नियमों में, अनुसूची-II में, -

- (क) क्रम संख्या 4 के समक्ष, स्तंभ 2 के अंतर्गत प्रविष्टियों में, "बीस वर्ष" शब्दों के स्थान पर, "कम से कम दस वर्ष" शब्द रखे जाएंगे;
- (ख) क्रम संख्या 5 के समक्ष, स्तंभ 2 के अंतर्गत प्रविष्टियों में, "बीस वर्ष" शब्दों के स्थान पर, "कम से कम दस वर्ष" शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. एफसी- 11/104/2025-एफसी]

आर. रघु प्रसाद, वन महानिरीक्षक

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE**NOTIFICATION**

New Delhi, the 31st August, 2025

G.S.R. 593(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980, the Central Government hereby makes the following rules, further to amend the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Rules, 2023, namely: -

1. (1) These rules may be called the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Amendment Rules, 2025.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Rules, 2023 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 2, in sub-rule (1), –
 - (i) after clause (k), the following clauses shall be inserted, namely:-

‘(ka) “final or Stage-II approval” means the prior approval of the Central Government granted under sub-section (1) of section 2 of the Adhiniyam after receipt of satisfactory compliance report of the conditions stipulated in the in-principle or Stage-I approval from the State Government;

(kb) “in-principle or Stage-I approval” means the preliminary approval of the Central Government to allow the use of forest land for a given purpose specified under sub-section (1) of section 2 of the Adhiniyam subject to the compliance of conditions stipulated therein;’;
 - (ii) for clause (v), the following clause shall be substituted, namely: -

“(v) “working permission” means permission granted to linear projects after in-principle or Stage -I approval to mobilise resources or to commence the preliminary project works other than black topping and concretisation of roads, laying of railway tracks, charging of transmission lines, etc. or as specified by the Central Government.”.
3. In the said rules, in rule 4, –
 - (i) after sub-rule (3), the following sub-rule shall be inserted, namely: -

“(3A) A non-official Member may resign from his office at any time by giving notice thereof in writing, to the Central Government, and the seat of that Member shall thereupon become vacant.”;
 - (ii) in sub-rule (4), for the words, brackets and letters “clauses (b) and (c)”, the words, brackets, figures and letter “sub-rules (2), (3) and (3A)” shall be substituted.

4. In the said rules, in rule 6, sub-rule (5) shall be re-numbered as rule 6A and in rule 6A as so renumbered, –

(i) after sub-rule (3), the following sub-rule shall be inserted, namely: -

“(3A) A non-official member of the Committee may resign from his office at any time by communicating the same in writing, to the Central Government, and the seat of that member shall thereupon become vacant.”;

(ii) in sub-rule (4) for the words, brackets and figures “(2) and (3)”, the brackets, figures, word and letter “(2), (3) and (3A)” shall be substituted.

5. In the said rules, in rule 9, –

(i) in sub rule (1), for the brackets, letters and words “(i) In-Principle’ approval; and ‘ (ii) Final’ approval, the brackets, letters and words “(i) in-principle or Stage -I approval” and “(ii) final or Stage-II approval” shall be substituted;

(ii) in sub-rule (2), the following proviso shall be inserted, namely: –

“Provided that for projects related to defence, strategic and national importance, exceptional cases related to public interest or emergent nature, the user agency may be permitted to submit an application for prior approval through offline mode.”.

6. In the said rules, in rule 10, for sub-rule (10), the following sub-rule shall be substituted, namely: –

“(10) The State Government or the Union territory Administration, if so desire, after obtaining the ‘in-principle or Stage-I approval’ of linear project proposals and deposition of compensatory levies such as compensatory afforestation and Net Present Value and cost of mitigation plans such as Wildlife Management Plan and Soil and Moisture Conservation Plan, as applicable, transfer and effect mutation of land identified for raising compensatory afforestation as forest land in favour of the Forest Department or notify the land identified for raising compensatory afforestation as protected forest under the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927) or local Act, as the case may be, and on compliance of the provisions of other applicable statutes including the Scheduled Tribe and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007), may grant 'working permission' for the commencement of project work before grant of final or Stage-II approval.”.

7. In the said rules, in rule 11, –

(i) in sub-rule (9), the following proviso shall be inserted, namely: –

“Provided that for projects related to defence, strategic and national importance, exceptional cases related to public interest or emergent nature, the user agency may be permitted to submit an application for prior approval through offline mode.”;

(ii) in sub-rule (10), –

(a) for the words “the ‘two years, the In-Principle’ approval shall be deemed null and void”, the words “five years, the in-principle or Stage -I approval may be revoked by the Central Government”, shall be substituted;

(b) in the proviso, for the words “Provided that the Central Government” the following shall be substituted, namely: –

“Provided that the Central Government may, for the reasons to be recorded in writing, extend the validity of in-principal or Stage -I approval for such period as it deems fit, if it is satisfied that the circumstances were such which prevented the State Government or Union territory Administration, as the case may be, from submitting the compliance report within the stipulated period of five years:

Provided further that the Central Government”.

8. In the said rules, in rule 12, in sub-rule (3), –

(i) for the word “Adiniyam”, the word “Adhiniyam” shall be substituted;

(ii) in sub-rule (3), the following proviso shall be inserted, namely: –

“Provided that the approval for the period during which work was carried out in the forest area without an approved Working Plan or Working Scheme, shall be dealt and disposed of by the concerned Regional Office in consultation with the Regional Empowered Committee.”.

9. In the said rules, in rule 13, –

(i) in sub-rule (3) for the words “prior to ‘Final’ approval”, the following shall be substituted, namely:–

“or transferred and mutated as forest land in favour of the Forest Department by the State Government or Union territory Administration, as the case may be, before the final or Stage - II approval is granted under the Adhiniyam;”;

(ii) in sub-rule (4), –

(a) for clause (c), the following clause shall be substituted, namely: –

“(c) aerial cabling of telephone, optical fibre lines, pipelines, and other public utility projects with or without felling of trees not falling within the right of way of roads;”;

(b) in clause (g), for the word “diversion”, the words “diversion, as the case may be;” shall be substituted;

(c) after clause (g), the following clause shall be inserted, namely: –

“(ga) mining of Critical and Strategic Minerals, as specified in Part-D of the First Schedule of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 s(67 of 1957) and minerals specified by the Ministry of Mines out of the list of minerals included in the Seventh Schedule of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), and prescribed substance, as defined under the Atomic Energy Act, 1962 (33 of 1962):

Provided that compensatory afforestation over degraded forest land, three times the forest area proposed for diversion, shall be raised in respect of those minerals of the Seventh Schedule as specified by the Ministry of Mines which are not included in the list of Critical and Strategic Minerals as specified in Part-D of the First Schedule of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957) and not falling in the States and Union territory Administrations, having forest area more than 33% of their geographical area ;”;

(d) in clause (h), for the words “conservation of wildlife; and”, the words “conservation of wildlife.” shall be substituted.

(iii) in sub-rule (5), clause (c) shall be omitted;

(iv) for sub-rule (6), following sub-rule shall be substituted, namely: –

“(6) In respect of proposal involving renewal of approval of mining leases, underground works including underground mining, following provisions of raising compensatory afforestation shall be applicable, namely: –

(i) for renewal of approval granted under the Adhiniyam to a mining lease, compensatory afforestation shall be applicable if the same was not provided earlier;

(ii) no compensatory afforestation shall be charged in respect of underground mining and underground works involved in the various developmental projects without surface rights.”;

10. In the said rules, in rule 14,—

(i) in sub-rule (1), for the words, figures and brackets “same shall be notified as protected forest under section 29 of Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927) or under any other law for the time being in force”, the words, figures and brackets “same shall be transferred and mutated as forest land in favour of the Forest Department or notified as protected forest under section 29 of Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927) or under any other law for the time being in force by the State Government or Union territory Administration, as the case may be,” shall be substituted;

(ii) in sub-rule (1), the following proviso shall be inserted, namely: -

“Provided that the State Government or the Union territory Administration, as the case may be, may authorise the Principal Chief Conservator of Forests and Head of Forest Force to issue notification under the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927) or under any local Act in respect of compensatory afforestation land provided *in lieu* of diversion of forest land under sub-rule (1) and sub-rule (3) of rule 13.”;

(iii) in sub-rule (4),—

(a) for clause (a), the following clause shall be substituted, namely: -

“(a) A State Government or Union territory Administration, as the case may be, for the purposes of compensatory afforestation, may create a land bank of degraded forest land having canopy density up to 0.4, Government lands, lands recorded as forest in Government records which are either under the administrative control of Forest Department or other Government Department or entity;

(b) after clause (c), the following clause shall be inserted, namely: -

“(d) With a view to ensure identification of land for raising compensatory afforestation in a time bound manner, afforestation raised by the Government Department or any other entity over degraded forest lands, revenue forest lands or non-forest lands under any schemes, programme or policies of the Central Government, may be utilised to meet the requirement of raising compensatory afforestation by the Government Department or its agencies or by any other entities, as admissible under rule 13 and subject to such terms and conditions as may be specified by the Central Government for this purpose.”;

(iv) in sub-rule (5),—

(a) in clause (b), for the word “Ahiniyam”, the word “Adhiniyam”, shall be substituted;

(b) in clause (g), after the words “being in force”, the words “or transferred and mutated as forest land in favour of the Forest Department by the State Government or Union territory Administration, as the case may be,” shall be inserted;

11. In the said rules, for rule 15, the following rule shall be substituted, namely: -

“15. Proceedings against persons guilty of offences under Adhiniyam.— (1) With effect from such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint in this behalf, officer holding the rank of Divisional Forest Officer or Deputy Conservator of Forests or above in the State Government or Union territory Administration or an officer holding the rank of Assistant Inspector General of Forests or above in the Regional Office of the Central Government, having jurisdiction over the forest land in respect of which any offence under the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 (69 of 1980) is committed or violation of the provisions of the Adhiniyam has been made, shall initiate legal proceedings and file complaints against such person, authority or organisation, *prima-facie* found guilty of offence under the said Adhiniyam or the violation of the rules made thereunder, in the court having jurisdiction in the matter.

(2) The Central Government or the Regional Offices under the Central Government, after receiving the information with respect to offence committed or violations made, shall, after examination, communicate the same to the State Government or Union territory Administration and the authorities concerned under whose jurisdiction the offence under the

Adhinyam has been committed or any provision of the said Adhinyam has been violated, for filing the complaint against the offenders before the court having jurisdiction within a period of forty five days from the receipt of such communication.

(3) The State Government or the Union territories Administration and authorities concerned shall submit a periodic report to Regional Office regarding the details of complaints filed under sub-rule (2).

(4) The officer authorised by the Central Government in sub-rule (1) may require any officer or any person or any other authority of the State Government or Union territory Administration, as the case may be, to furnish to it within a specified period any reports, documents, and any other information related to contravention of the Adhinyam or the rules made thereunder, considered necessary for making a complaint in any court of jurisdiction and every such officer or person or authority shall be bound to so furnish.

12. In the said rules, in Schedule-I, -

(i) against the entry "Site inspections by DCF/CF/Nodal Officer", for the figures "20" occurring under the column heading "40 to 100*", the figure '5' shall be substituted;

(ii) against sub-item "Processing by Nodal Officer/PCCF", for the figures "15" occurring under the column heading "40 to 100*", the figures "10" shall be substituted;

(iii) against the entry "**Total (A+C)**", -

(a) for the figures "85" occurring under the column heading "Up to 5*", the figures "80" shall be substituted;

(b) for the figures "160" occurring under the column heading "40 to 100*", the figures "130" shall be substituted;

13. In the said rules, in Schedule-II, -

(i) against sl. No. 4, in the entries under column 2, for the words "twenty years", the words "at least ten years" shall be substituted;

(ii) against sl. No. 5, in the entries under column 2, for the words "twenty years", the words "at least ten years" shall be substituted.

[F. No. FC- 11/104/2025-FC]

R. RAGHU PRASAD, Inspector General of Forests